न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/11/2021	08–10–2021	10–03–2022

1–अशोक कुमार पुत्र बोदन सिंह जाति जाट निवासी खुशालबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

अपीलांट

बनाम

1–तहसीलदार मुण्डावर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मुण्डावर का निर्णय दिनांक 03.06.2011 नामान्तकरण बय संख्या 268 ग्राम खुशालबास तहसील मुण्डावर।

उपस्थितः–

01. श्री ब्रह्मप्रकाश यादव –वकील अपीलान्टस

02 राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 03.06.2011 नामान्तकरण बय संख्या 268 वाके ग्राम खुशालबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2011 नामान्तकरण बय संख्या 268 वाके ग्राम कुशालवास तहसील मुण्डावर की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त आदेश अपीलांट की गैर माजूदगी में बिना कोई नोटिस जारी किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। जिस कारण से अपील समय अवधि में पेश नहीं की जा सकी इसमें मिन अपीलांट की कोई लापरवाही या बदयान्ति नहीं रही है। पारित निर्णय दिनांक 03.06.2011 नामान्तकरण बय संख्या 268 ग्राम कुशालबास तहसील मुण्डावर की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 15.10.2018 को हुई जब पटवारी हल्का ने मिन अपीलांट को किसान केडिट कार्ड बनवाने लिये राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर जानकारी हुई। नकल हेतु दिनांक 15.10.2018 को नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो सायः काल प्राप्त हुई। विवादित आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम खुशालबास में से 0.12 है0 सम्पूर्ण अशं अभिलिखित खातेदार काश्तकार सुरजन सिंह, सुबह सिंह, अमर सिंह, उदयराम, पुत्रान नन्दाराम, हि0 4/10 मु0 घोटी वेवा रामनिवास नावालिग अनिता, सुनिता, मनीषा, उषा कुमारी पुत्रीयान रामनिवास प्रदीप कुमार पुत्र रामनिवास 1/10 हिस्सा दर 0.06, अमीचंद, मोहनसिंह पुत्रान श्योसहाय रकबा 0.06 जाति जाट निवासी ग्राम इकरोटिया, तहसील मुण्डावर थे। जिन्होने अपनी कब्जे काश्त खातेदारी जाट निवासी खुशालबास तहसील मुण्डावर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.12.2010 पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या 367 पृष्ठ संख्या 41 क्रम संख्या 2010002996 के विक्रय कर दिये। और प्रतिफल की राशि

प्रमाणित फोटो प्रति

मौंके पर कब्जा करा दिया तथा बयनामा विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के अनुसार मिन अपीलांट के हक में पंजीबद्ध कर दिया। जिस आराजी पर मिन अपीलांट बरोज खरीद से आज तक काविज रहकर हर प्रकार से उपयोग/उपभोग करता चला आ रहा है। वर्तमान में मौंके पर मिन अपीलांट का वास्तविक/भौतिक कब्जा है। बयनामें के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन इंतकाल वय संख्या 268 दिनांक 23.12.2010 को भरा जाकर भू0 अ0 नि0 के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 23.12.2010 को मिलान किया गया तथा तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.04.2011 को आगामी बैठक में पेश होने का नोट लगया गया। तत्पश्चात उक्त इंतकाल को रेस्पोडेन्ट ने आलौच्य आज्ञा दिनांक 03.06.2011 के द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीके से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए स्वीकार किया गया है। मिन अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी में से 0.12 है0 सम्पूर्ण अंश उक्त अभिखित खातेदार काश्तकार से खरीद किया गया है। रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.12.2010 के अनुसार उक्त आराजी का 0.12 है0 सम्पूर्ण अंश खरीद किया गया है। इसलिये कानूनन उक्त रजिस्टर्ड बयनामें के आधार पर रेस्पोडेन्ट को अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करना चाहिये था। लेकिन रेस्पोडेन्ट ने बयनामें के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया और बयनामें के विपरीत अपीलाधीन इंतकाल संख्या 268 रकबा 0.09 है0 दर्ज करते हुए स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिसे अपास्त किया जाकर अपीलाधीन इंतकाल बय में दर्ज रकबा 0.09 है0 को कलमजन किया जाकर बयनामें के आधार पर रकबा 0.12 है0 दर्ज किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2011 नामान्तकरण बय संख्या 268 वाके ग्राम खुशालबाग तहसील मुण्डावर के विरूद्ध दिनांक 24.10.2018 को अपील पेश की है, और अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.10.2018 पटवारी हल्का से होना जाहिर किया हैं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा इन्तकाल बय संख्या 268 वाके ग्राम खुशालबास तहसील मुण्डावर दिनाक 03.06.2011 को आराजी खसरा न0 140 रकबा 0.9 है0 खातेदार अशोक कुमार पुत्र बोदनराम जाट साकिन देह के पक्ष में दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है, जबकि बैयनामा के अनुसार आराजी खसरा न0 140 का रकबा 0.12 है0 खरीद किया गया है, जिसके अनुसार रकबा कम दर्ज कर स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार मुण्डाव का आदेश दिनॉक 03.06.2011 नामान्तकरण बय संख्या–268 वाके ग्राम खुशालबास तहसील मुण्डावर निरस्त किया जाता है, एवं प्रकरण तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है, कि रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.12.2010 के अनुसार उक्त आराजी का 0.12 है0 सम्पूर्ण अंश खरीद किया गया है। के अनुसार पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार मुण्डावर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10-3-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सुनीता पंकज)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

ALWAR

प्रमाणित फोटो प्रति